न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारीः–रमेश देव आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 623/2022
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 आरटीए

कृष्णचन्द्र पुत्र गोपालराम जाति जाट साकिन बोलावाली तहसील संगरिया।

वादी

बनाम

1. मुखराम पुत्र जगदीश जाति जाट साकिन बोलांवाली तहसील संगरिया।
2. चावली देवी पत्नी टीकूराम जाति जाट साकिन बोलांवाली तहसील संगरिया।
3. मनकी देवी पुत्री टीकूराम जाति जाट साकिन बोलांवाली तहसील संगरिया।
4. रायसिंह पुत्र टीकूराम जाति जाट साकिन बोलांवाली तहसील संगरिया।
5. बैक ऑफ बडौदा शाखा संगरिया जरिए शाखा प्रबंधक।
6. भारतीय स्टेट बैंक शाखा संगरिया जरिए शाखा प्रबंधक।
7. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित –

1. श्री संतोष गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांकः– 07-07-2023

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी के नाम तहसील संगरिया के चक नं. 9 एएमपी खाता सं. 17/16 ज.सं. 2071–74 में 1.012 है. कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा है तथा 1/2 हिस्सा वादी ने दिनांक 19.03.1979 को जरिए बैयनाम प्रतिवादी सं. 2 ता 4 से कीमतन खरीदशुदा है। उक्त कृषि भूमि पर वादी का खरीद की रोज से ही कब्जा काश्त व आधिपत्य है जिसमें किसी प्रकार का वाद विवाद नही है। चक नं. 9 एएमपी खाता सं. 17/16 ज.स. 2071–74 में 3/4 हक व हिस्सा बनता है जिसे वो अपने नाम करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। वादी ने प्रतिवादीगण से विगत सप्ताह उक्त बंटवारानुसार राजस्व अभिलेख में नामान्तरण करवाने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ऐसा करने से कतई इन्कार हो गए। बस यही वाद का कारण है। प्रतिवादी सं. 1 को उक्त कृषि भूमि में हिस्सेदार होने के कारण, प्रतिवादी सं.2,3 व 4 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में केवल मात्र दर्ज होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 5 व 6 के पक्ष में कृषि भूमि रहन होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 7 को भू धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। जिनसे परोक्ष रूप से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।

लिहाजा वाद वादी निम्नानुसार डिक्री फरमाया जावे कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि चक नं. 9 एएमपी खाता सं. 17/16 ज.

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सं. 2071–74 में 3/4 हिस्सा कृषि भूमि वादी कृष्ण के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे एवं प्रतिवादी सं. 2,3 व 4 के नाम उक्त खाता में से कलमजन किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3, 5 ता 7 बावजूद तामिल उपस्थित नही। वकील वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 2 की मृत्यू होने एवं प्रतिवादी सं. 2 के वारिसान पूर्व में ही वादपत्र में शामिल होने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर प्रतिवादी सं. 2 का नाम कलमजन किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व 4 स्वयं उपस्थित होकर वादपत्र बाबत आदेशिका पर अपनी सहमति देते हुए अपने हस्ताक्षर किये। साक्ष्य वादी में वादी कृष्ण चन्द्र की ओर से आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी ओर साक्ष्य पेश नही करना चाहते है इसलिए साक्ष्य वादी बन्द किये गये।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी व प्रतिवादीगण ने हाजिर आकर अपनी सहमति पेश की गई है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में कोई विरोधा–भास सामने नही आया है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक सहमति अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि चक 9 एएमपी खाता संख्या 17/16 ज.स. 2071–2074 में 3/4 हिस्सा कृषि भूमि वादी कृष्ण चन्द्र के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के नाम उक्त खाता से कलमजन कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

नोटः– यादि उक्त आराजी बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.07.2013 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7/7/13

(रमेश देव)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

उप खण्ड अधिकारी संगरिया जिला हनुमानगढ़
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 आरटीए

प्रकरण संख्या:– 623/2022

कृष्णचन्द्र पुत्र गोपालराम जाति जाट साकिन बोलावाली तहसील संगरिया।

वादी

बनाम

1. मुखराम पुत्र जगदीश जाति जाट साकिन बोलांवाली तहसील संगरिया।
2. चावली देवी पत्नी टीकूराम जाति जाट साकिन बोलांवाली तहसील संगरिया।
3. मनकी देवी पुत्री टीकूराम जाति जाट साकिन बोलांवाली तहसील संगरिया।
4. रायसिंह पुत्र टीकूराम जाति जाट साकिन बोलांवाली तहसील संगरिया।
5. बैक ऑफ बडौदा शाखा संगरिया जरिए शाखा प्रबंधक।
6. भारतीय स्टेट बैंक शाखा संगरिया जरिए शाखा प्रबंधक।
7. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री संतोष गोदारा वादी मिन जामिन मुदई .... वकील प्रतिवादी संख्या .... मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 9 एएमपी खाता संख्या 17/16 ज.स. 2071–2074 में 3/4 हिस्सा कृषि भूमि वादी कृष्ण चन्द्र के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के नाम उक्त खाता से कलमजन कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोटः– यादि उक्त आराजी बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज....X.....नल....X.....मुब्लिक.....X....निल....X.....बाबत्....X.....निल.....X.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक....X.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 07.07.2023 को जारी किया गया।

(हस्ताक्षर) 7/7/23

(रमेश देव)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी संगरिया

(मुहर: सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया)